

फर्द अहकाम

प्रायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

ख्या :- 168/2022

मनोज बनाम मोहन

क आज़ा कार्यवाही	आज़ा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता नाथूलाल शर्मा हाजिर। अप्रार्थी 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 11 को सम्यक तामील के उपरान्त भी हाजिर नहीं, अतः अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।</p> <p>प्रार्थना पत्र पर वहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफ़ैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पावंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	